जावक क्र. 1113/16
दि. 22/10/2016

प्रारूप क्रमांक–1
(देखिये नियम 3)
समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापन–पत्र (संशोधित)

(1) समिति का नामः–"जागृति युवा मंच"शाहनगर ' होगा ।
(2) समिति का कार्यालयः–पावर हाउस कालोनी,शाहनगर तहसील–शाहनगर जिला–पन्ना होगा ।
(3) समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगेः–

1. समतामूलक एवं शोषण मुक्त समाज की रचना करना।
2. दलित आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण तथा जन और तंत्र के बीच समन्वय स्थापित करना , लोगों को मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना ।
3. महिलाओं को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति शिक्षण, प्रशिक्षण तथा उनमें नेतृत्व , कला कौशल के उन्नयन हेतु छमताओं को पैदा करना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का प्रचार प्रसार करना ।
4. पर्यावरण भूमि विकास, वैकल्पिक कृषि एवं जलागम कार्यक्रमों से ग्रामीण जीविकोपार्जन हेतु आत्म निर्भरता को बढ़ावा देना ।
5. ग्रामीण वन वासियों की जीविका, समृद्धि एवं सम्मान की रक्षा के लिए प्रयास करना तथा संरक्षित प्राकृतिक संसाधनों के दीर्घ कालिक उपयोग के लिए प्रोत्साहन देना।
6. ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना के लिए पंचायती राज्य को सशक्त करना, वंचितों, महिलाओं के चहुंमुखी विकास, उन्नति के लिए अवसर उपलब्ध कराना तथा परिवार परामर्श केन्द्र व मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना करना ।
7. निःशक्तजनों के लिए उद्धार कार्यक्रम आश्रम तथा निःशक्त बच्चों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण एवं उपभोग संरक्षण कार्यक्रम ।
8. विकलांगों, कुष्ठ रोगियों, मूक बधिरों, शिशु ग्रहों तथा नशा मुक्ति आश्रमों की स्थापना करना
9. सामाजिक विकास के लिए एवं युवा, युवतियों की छमता वृद्धि के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण , सभा, सम्मेलनों एवं खेलकूद ,सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
10. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शासकीय, अशासकीय संस्थाओं एवं दान दाताओं से वित्तीय सहायता एवं लोन अनुदान प्राप्त करना ।
11. बालक–बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना व शिक्षा का प्रचार–प्रसार कर प्रत्येक नागरिक को शिक्षित एवं साक्षर करना ।
12. शैक्षणिक विकास हेतु विद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी प्रशिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण, आई.टी. आई., कम्प्यूटर, कौशल विकास आदि शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन करना ।
13. समाज के शारीरिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु पुस्तकालय, नैतिक शिक्षा, योग, खेलकूद एवं व्यायाम केन्द्रों का संचालन व विधाओं का प्रचार प्रसार करना ।
14. पर्यावरण सुधार हेतु पौधारोपण, वनो की कटाई को रूकवाने हेतु प्रयास, औषधीय खेती, मशाले की कृषि , वैकल्पिक कृषि, तकनीकी कृषि, एवं जलागम कार्यक्रमों से ग्रामीण जीविकोपार्जन हेतु आत्म निर्भरता को बढ़ावा देना ।

प्रति. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं सागर संभाग सागर

सोसा.का पंजीयन क्र. 300
सोसा.का पंजीयन दि. 5/6/92
सोसा.में परि. पंजीबद्ध का दि. 20/10/16

अति. रजिस्ट्रार

15. जैविक कृषि को बढावा देने हेतु जैविक खाद बनाने की विधि की जानकारी देना तथा किसानों को प्रशिक्षित करना, रासायनिक खादों एवं दवाओं के उपयोग से कृषि के क्षेत्र में हो रही हानि की जानकारी देना एवं देशी खाद व दवाईयों का उपयोग करने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना, किसानों को संगठित कर कृषि के क्षेत्र में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकियों का प्रचार–प्रसार व प्रशिक्षित करना ।

16. वनवासियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों एवं गरीबों के सर्वांगीण विकास हेतु स्वसहायता समूहो का गठन एवं संरक्षित प्राकृतिक संसाधनों के दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्रोत्साहन देना ।

17. महिलाओं को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरुक करना तथा उन्हें संगठित कर नेतृत्व कला, कौशल उन्नयन, क्षमता विकास हेतु स्वसहायता समूह एवं सामाजिक, आर्थिक सशक्तीकरण हेतु प्रयास करना ।

18. स्वास्थ्य, शिक्षा , वैज्ञानिक अनुसंधान, उन्नत तकनीकी प्रयोगों पर सेमीनारों का आयोजन करना एवं शिक्षण , प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करना ।

19. नृत्य, संगीत, कला, मनोरंजन, एवं देश की प्राचीन संस्कृति के विकास की गतिविधियों का संचालन करना ।

20. सामाजिक कुरीतियों , रूढिवादिता , अंधविश्वास जैसी अवधारणाओं के प्रति जागरूकता लाना ।

21. क्षय रोग, कैंसर, एचआईवी./एड्स , हैजा, मलेरिया, चिकनगुनिया, मौसमी जनित एवं अन्य संक्रमण से होने वाली बीमारियों के बचाव व उपचार के लिए लोगों को स्वास्थ्य केन्द्रों से जोड़ना एवं जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना ।

22. ग्राम,जिला,प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर स्वयंसेवी संस्थाओं को खड़ा करना जो निःस्वार्थ भावना से आपदा प्रबंधन, जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण सुधार, स्वास्थ्य शिक्षा व अन्य सामाजिक विकास कार्यो में सरकार के सहयोगी बनें ।

23. ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना के लिए पंचायती राज्य को सशक्त करना व शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना ।

24. निःशक्तजनों, कुष्ठ रोगियों, मूकबधिरों, शिशुओं के लिए शिक्षण प्रशिक्षण व छात्रावास, वृद्धजनों के लिए आश्रम, महिलाओं के स्टे होम, व नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना करना ।

25. आयुर्वेद एवं यूनानी, होम्योपैथी चिकित्सा व स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार प्रसार, प्रशिक्षण एवं महाविद्यालयों का संचालन करना ।

26. आधुनिक तकनीकी इन्टरनेट, ई–मेल, फेसबुक, ट्यूटर एकाउंट जैसे–सोशल मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, डिजिटल तकनीक की समझ को बढावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना ।

27. युवा–युवतियों को कर्तव्यों एवं अधिकारों, जेन्डर समानता, समग्र स्वच्छता , स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं जागरूकता हेतु सभा सम्मेलन आयोजित करना ।

28. कुपोषण, स्वास्थ्य, पेयजल, शौचालय, स्वच्छता पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रमों का संचालन व जनसहयोग कर शासन द्वारा संचालित योजनाओं में भागीदार बनना ।

सोसा.का पंजीयन क्र. 300
सोसा.का पंजीयन दि. 1.6.92
सोसा.में परि. नस्तीबद्ध का दि.: 20.10.16

अति. रजिस्ट्रार

29. सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, एवं नवीन वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों के विकास के लिए कार्यक्रमों का संचालन करना ।

30. गौशाला का संचालन, व गौवंश के संरक्षण एवं विलुप्त हो रही नस्लों को संरक्षित किये जाने हेतु जागरूकता लाना ।

31. उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण हेतु उपभोक्ता जागरूकता गतिविधियों का प्रचार–प्रसार करना ।

32. विभिन्न क्षेत्रों , संस्थानों आदि मे भर्ती हेतु बुनियादी नियमो ,प्रक्रियाओं [Guide Lines] संबंधी जानकारी देना ताकि वे पूर्ण आत्म विश्वास के साथ निर्भय होकर साक्षात्कार का सामना कर सकें , सफलता एवं जाब प्राप्त कर स्वयं को गौरवान्वित कर सकें

माता–विहीन एवं लावारिश बच्चों की आजीविका, शिक्षा एवं उनके समुचित विकास हेतु कार्य करना एवं परिवार परामर्श केन्द्र, बालवाड़ी, अनाथालय, वृद्धाश्रम व बाल सुधारगृहों की स्थापना करना ।

34. धार्मिक या खैराती प्रयोजन,जिसके अन्तर्गत सैनिक अनाथों के कल्याण, राजनैतिक पीड़ितों के कल्याण और वैसे ही व्यक्तियों के कल्याण के लिए, निधियों की स्थापना आती है, के सम्प्रवर्तन के लिए ।

35. राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों की प्रोन्नति तथा उनका क्रियान्वयन

36. वाणिज्य, उद्योग तथा खादी की प्रोन्नति ।

(4) समिति के प्रबंध विनियमों व्दारा समिति के कार्यो का प्रबंध 'शासक परिषद,संचालकों, सभा या शासी निकाय को सौंपा गया है । जिनके नाम, पते तथा धन्धो का उल्लेख निम्नांकित है:—

क्र	नाम	पद	पूर्ण पता	उपजीविका
1.	श्री रामलखन तिवारी	अध्यक्ष	मुकाम उमरिया डूडी	समाज सेवा
2.	श्रीमती सुशीला शर्मा	उपाध्यक्ष	शाहनगर	समाज सेवा
3.	श्री जाफर आलम	सचिव	शाहनगर	समाज सेवा
4.	श्री राजाराम राठौर	कोषाध्यक्ष	मुकाम चौपरा	कृषि
5.	श्री बसंत कुमार सोनकिया	संयुक्त सचिव	मुकाम शाहनगर	कृषि
6.	श्री सुरेश कुमार गुप्ता	सदस्य	मुकाम उमरिया डूडी	व्यापार
7.	श्री अशोक कुमार नीखर	सदस्य	मुकाम शाहनगर	व्यापार

पंजीयन के समय प्रस्तुत की नकल है। प्रबंधकारिणी की वैधानिक सूची नहीं है।

सो.की.का पंजीयन क्र. 2084
सो.की.का पंजीयन दि. 2.8.92
सो.की.में परि. नस्तीबद्ध का दि. 26/10/16

अति. रजिस्ट्रार

5.समिति के इस ज्ञापन–पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उप–धारा (1) के अधीन अपेक्षित है,संलग्न है ।

हम, अनेक व्यक्ति ,जिनके नाम और पते नीचे लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन–पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन–पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं ।

क्र	अभिदाताओं के नाम ,पिता / पति का नाम		पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1	श्री रामलखन तिवारी पिता श्री [illegible] तिवारी		मुकाम उमरिया डूडी विकासखण्ड शाहनगर तहसील–शाहनगर जिला–पन्ना	हस्ता / –
2	श्रीमती सुशीला शर्मा पति श्री सोनेलाल शर्मा		मु.पो.विकासखण्ड शाहनगर जिला–पन्ना	हस्ता / –
3	श्री [illegible] आलम पिता श्री जिकारी [illegible]		मु.पो.विकासखण्ड शाहनगर जिला–पन्ना	हस्ता / –
4	श्री राजाराम राठौर पिता श्री दरबारीलाल राठौर		मुकाम चौपरा पो.टिकरिया तहसील–शाहनगर जिला–पन्ना	हस्ता / –
5.	श्री बसंत कुमार पिता श्री जमुना प्रसाद सोनकिया		मु.पो.विकासखण्ड शाहनगर जिला–पन्ना	हस्ता / –
6.	श्री सुरेश कुमार गुप्ता पिता श्री [illegible] गुप्ता		मुकाम उमरिया डूडी विकासखण्ड शाहनगर तहसील–शाहनगर जिला–पन्ना	हस्ता / –
7.	श्री अशोक कुमार पिता श्री [illegible]षोत्तम नीखर		मु.पो.विकासखण्ड शाहनगर जिला–पन्ना	हस्ता / –

यह पंजीयन के समय ज्ञापन पत्र की नकल है। प्रबंधकारिणी की दस्तावेज़ सूची नहीं है।

दिनांक
प्रति
समितियों के रजिस्ट्रार

T.C.
21.10.16
(M.J. Qureshi)
Asstt. Registrar of Societies
Sagar Division, Sagar

साक्षी
हस्ताक्षर :–हस्ता / –
साक्षी का नाम–संतोष सेठ
पूरा पता–ग्राम व पो.शाहनगर जिला–पन्ना ।

संस्था का पंजीयन क्र. 300
संस्था का पंजीयन दि. 2.6.92
संस्था में परि. सत्यापन का दि. 20.10.16

अति. रजिस्ट्रार

परिशिष्ट "अ"

(समिति नियमों का प्रारुप) संशोधित

(1) समिति का नामः–'जागृति युवा मंच, शाहनगर, होगा ।

(2) समिति का कार्यालयः–पावर हाउस कालोनी,शाहनगर तह.–शाहनगर जिला–पन्ना होगा ।

(3) सोसाइटी का कार्यक्षेत्रः– **सम्पूर्ण भारत होगा ।**

(4) इस समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगेः–

1. समतामूलक एवं शोषण मुक्त समाज की रचना करना।
2. दलित आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण तथा जन और तंत्र के बीच समन्वय स्थापित करना , लोगों को मौलिक अधिकारों के प्रति जागरुक करना ।
3. महिलाओं को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति शिक्षण, प्रशिक्षण तथा उनमें नेतृत्व , कला कौशल के उन्नयन हेतु छमताओं को पैदा करना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का प्रचार प्रसार करना ।
4. पर्यावरण भूमि विकास, वैकल्पिक कृषि एवं जलागम कार्यक्रमों से ग्रामीण जीविकोपार्जन हेतु आत्म निर्भरता को बढावा देना ।
5. ग्रामीण वन वासियों की जीविका, समृद्धि एवं सम्मान की रक्षा के लिए प्रयास करना तथा संरक्षित प्राकतिक संसाधनों के दीर्घ कालिक उपयोग के लिए प्रोत्साहन देना।
6. ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना के लिए पंचायती राज्य को सशक्त करना, वंचितों, महिलाओं के चहुंमुखी विकास, उन्नति के लिए अवसर उपलब्ध कराना तथा परिवार परामर्श केन्द्र व मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना करना ।
7. निःशक्त जनों के लिए उद्धार कार्यक्रम आश्रम तथा निःशक्त बच्चों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण एवं उपभोग संरक्षण कार्यक्रम ।
8. विकलांगों, कुष्ठ रोगियों, मूक बधिरों, शिशु ग्रहों तथा नशा मुक्ति आश्रमों की स्थापना करना
9. सामाजिक विकास के लिए एवं युवा , युवतियों की छमता वृद्धि के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण , सभा, सम्मेलनों एवं खेलकूद ,सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
10. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शासकीय, अशासकीय संस्थाओं एवं दान दाताओं से वित्तीय सहायता एवं लोन अनुदान प्राप्त करना ।
11. बालक–बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना व शिक्षा का प्रचार–प्रसार कर प्रत्येक नागरिक को शिक्षित एवं साक्षर करना ।
12. शैक्षणिक विकास हेतु विद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी प्रशिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण, कम्प्यूटर, कौशल विकास आदि शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन करना ।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

संस्था का पंजीयन क्र. 200
संस्था का पंजीयन दि. 2.6.92
संशोधित दरि. नवीनीकरण का दि. 7.10.16

अति. रजिस्ट्रार

13. समाज के शारीरिक एवं शैक्षणित विकास हेतु पुस्तकालय, नैतिक शिक्षा, योग, खेलकूद एवं व्यायाम केन्द्रों का संचालन व विधाओं का प्रचार प्रसार करना ।

14. पर्यावरण सुधार हेतु पौधारोपण, वनो की कटाई को रूकवाने हेतु प्रयास, औषधीय खेती, मशाले की कृषि , वैकल्पिक कृषि, तकनीकी कृषि, एवं जलागम कार्यक्रमों से ग्रामीण जीविकापार्जन हेतु आत्म निर्भरता को बढावा देना ।

15. जैविक कृषि को बढावा देने हेतु जैविक खाद बनाने की विधि की जानकारी देना तथा किसानों को प्रशिक्षित करना , रासायनिक खादों एवं दवाओं के उपयोग से कृषि के क्षेत्र में हो रही हानि की जानकारी देना एवं देशी खाद व दवाईयों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना, किसानों को संगठित कर कृषि के क्षेत्र में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकियों का प्रचार–प्रसार व प्रशिक्षित करना ।

16. वनवासियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों एवं गरीबों के सर्वांगीण विकास हेतु स्वसहायता समूहो का गठन एवं संरक्षित प्राकृतिक संसाधनों के दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्रोत्साहन देना ।

17 महिलाओं को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरुक करना तथा उन्हें संगठित कर नेतृत्व कला, कौशल उन्नयन, क्षमता विकास हेतु स्वसहायता समूह एवं सामाजिक, आर्थिक सशक्तीकरण हेतु प्रयास करना ।

18. स्वास्थ्य, शिक्षा , वैज्ञानिक अनुसंधान, उन्नत तकनीकी प्रयोगों पर सेमीनारों का आयोजन करना एवं शिक्षण , प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करना ।

19. नृत्य, संगीत, कला, मनोरंजन, एवं देश की प्राचीन संस्कृति के विकास की गतिविधियों का संचालन करना ।

20. सामाजिक कुरीतियों , रूढिवादिता , अंधविश्वास जैसी अवधारणाओं के प्रति जागरूकता लाना ।

21. क्षय रोग, कैंसर, एचआईवी./एड्स , हैजा, मलेरिया, चिकनगुनिया, मौसमी जनित एवं अन्य संक्रमण से होने वाली बीमारियों के बचाव व उपचार के लिए लोगों को स्वास्थ्य केन्द्रों से जोड़ना एवं जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना ।

22. ग्राम,जिला,प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर स्वयंसेवी संस्थाओं को खड़ा करना जो निःस्वार्थ भावना से आपदा प्रबंधन, जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण सुधार, स्वास्थ्य शिक्षा व अन्य सामाजिक विकास कार्यों में सरकार के सहयोगी बनें ।

23. ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना के लिए पंचायती राज्य को सशक्त करना व शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना ।

24. निःशक्तजनों, कुष्ठ रोगियों, मूकबधिरों, शिशुओं के लिए शिक्षण प्रशिक्षण व छात्रावास, वृद्धजनों के लिए आश्रम, महिलाओं के स्टे होम, व नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना करना ।

25. आयुर्वेद एवं यूनानी, होम्योपैथी चिकित्सा व स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार प्रसार, प्रशिक्षण एवं महाविद्यालयों का संचालन करना ।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष 300

संस्था का पंजीयन क्र. 5.6.92
संस्था का पंजीयन दि. 20.10.16
संस्था में परि. नस्तीबद्ध का दि. ....

अति. रजिस्ट्रार

26. आधुनिक तकनीकी इन्टरनेट, ई–मेल, फेसबुक, ट्यूटर एकाउंट जैसे–सोशल मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, डिजिटल तकनीक की समझ को बढावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना ।

27. युवा–युवतियों को कर्तव्यों एवं अधिकारों, जेन्डर समानता, समग्र स्वच्छता , स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं जागरूकता हेतु सभा सम्मेलन आयोजित करना ।

28. कुपोषण, स्वास्थ्य, पेयजल, शौचालय, स्वच्छता पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रमों का संचालन व जनसहयोग कर शासन द्वारा संचालित योजनाओं में भागीदार बनना ।

29. सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, एवं नवीन वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों के विकास के लिए कार्यक्रमों का संचालन करना ।

30. गौशाला का संचालन, व गौवंश के संरक्षण एवं विलुप्त हो रही नस्लों को संरक्षित किये जाने हेतु जागरूकता लाना ।

31. उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण हेतु उपभोक्ता जागरूकता गतिविधियों का प्रचार–प्रसार करना ।

32. विभिन्न क्षेत्रों , संस्थानों आदि में भर्ती हेतु बुनियादी नियमों ,प्रक्रियाओं [Guide Lines] संबंधी जानकारी देना ताकि वे पूर्ण आत्म विश्वास के साथ निर्भय होकर साक्षात्कार का सामना कर सकें , सफलता एवं जाब प्राप्त कर स्वयं को गौरवान्वित कर सकें

33- माता–विहीन एवं लावारिश बच्चों की आजीविका, शिक्षा एवं उनके समुचित विकास हेतु कार्य करना एवं परिवार परामर्श केन्द्र, बालवाड़ी, अनाथालय, वृद्धाश्रम व बाल सुधारगृहों की स्थापना करना ।

34. धार्मिक या खैराती प्रयोजन,जिसके अन्तर्गत सैनिक अनाथों के कल्याण, राजनैतिक पीड़ितों के कल्याण और वैसे ही व्यक्तियों के कल्याण के लिए, निधियों की स्थापना आती है, के सम्प्रवर्तन के लिए ।

35. राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों की प्रोन्नति तथा उनका क्रियान्वयन

36. वाणिज्य, उद्योग तथा खादी की प्रोन्नति ।

5. सदस्यता :– संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होगें :–

(अ) **संरक्षक सदस्यः–** संस्था को जो व्यक्ति शुल्क के रूप में रूपये 10,000 या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा ।

(ब) **आजीवन सदस्यः–** जो व्यक्ति संस्था को शुल्क के रूप मे रूपये 5000 या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा । कोई भी आजीवन सदस्य रूपये 5000 या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है ।

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

सोसा.का पंजीयन क्र. 300
सोसा.का पंजीयन दि. 2.6.92
सोसा.में परि. नस्तीबद्ध का दि. 20.10.16

अति. रजिस्ट्रार

(स) साधारण सदस्यः– जो व्यक्ति रूपये 10 रूपये प्रतिमाह या 120 रूपये प्रतिवर्ष शुल्क के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा । साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिये उसने चन्दा दिया है जो साधरण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देयक चन्दा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जावेगी । ऐसे सदस्य व्दारा संस्था के लिए नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राषि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है ।

(द) सम्मानीय सदस्यः– संस्था की प्रबन्धकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे समानीय सदस्य बना सकती हैं ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठ क में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा ।

(6) सदस्यता की प्राप्तिः– प्रत्येक व्यक्ति जो समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा । ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा ।

(7) सदस्यों की योग्यताः– संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवष्यक हैं :–

(1) आयु 18 वर्ष कम न हो । (2) भारतीय नागरिक हो । (3) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो । (4) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो ।

(8) सदस्यता की समाप्ति :– संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति समाप्त हो जावेगी :–

(1) मृत्यु हो जाने पर (2) पागल हो जाने पर (3) संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर (4) त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर (5) चारित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी ।

(9) संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे :–

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम , पता तथा व्यवसाय, तारीख सहित हस्ताक्षर

(2) वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं.

(3) वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो ।

(10) **(अ) साधारण सभाः–** साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होगें । साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी । परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी । बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी ।

अध्यक्ष   सचिव   कोषाध्यक्ष

300

मूलतः पंजीयन क्र. 5161/92
मूलतः पंजीयन दि. 20.10.16
नियमों में परि. पंजीबद्ध का दि.

सहा. रजिस्ट्रार

बैठक का कोरम 2/3 सदस्यों का होगा । संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी । उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा , यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा ।

(ब) प्रबन्धकारिणी सभाः– प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक 4 माह में होगी या आवश्यकतानुसार हुआ करेगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवष्यक होगी । बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी । यदि का बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी ।

(स) विशेष :–– यदि कम से कम कुल संख्या(कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों व्दारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्षाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेंगी । विषेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक का संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा । पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा ।

(11) साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्यः–

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना ।
(ख) संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना ।
(ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों को नियुक्त करना ।
(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी व्दारा प्रस्तुत हों ।
(च) संस्था व्दारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना ।
(छ) बजट का अनुमोदन करना ।

(12) **प्रबन्धकारिणी का गठनः–** ट्रस्टीज यदि कोई हो तो समिति के पदेन सदस्य रहेगें । नियम 5(अ,ब,स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों बैठक में बहुमत्त के आधार निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समि के सदस्यो का निर्वाचन होगा :–

(1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) सचिव (4) कोषाध्यक्ष (5) संयुक्त सचिव (6) सदस्य–2

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

संस्था का पंजीयन क्र. 300
संस्था का पंजीयन दि. 2.6.93
संशो. पं. परि. नस्तीबद्ध का दि. 20.10.16
अति. रजिस्ट्रार

(13) **प्रबंध समिति का कार्यकाल :–** प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा,समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब कि कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी , किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नही होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा ।

(14) **प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्यः–**

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना ।

(ब) पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना ।

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना । संस्था की चल–अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।

(द) कर्मचारियों , शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना ।

(इ) अन्य आवष्यक कार्य करना,जो साधारण सभा व्दारा समय–समय पर सौंपे जाए ।

(च) संस्था की समस्त चल–अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से होगी ।

(छ) संस्था व्दारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय व्दारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नहीं की जायगी ।

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संषोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तु करेगी । साधारण सभा में कुल सदस्यो 2/3 मत से संशोधन पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा ।

(15) **अध्यक्ष के अधिकारः–** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री व्दारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा । अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा ।

(16) **उपाध्यक्ष के अधिकारः–** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष व्दारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा । अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा ।

(17) **सचिव(मंत्री) के अधिकारः–**

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों, प्रस्तुत करना ।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

सोसा.का पंजीयन क्र. 300
सोसा.का पंजीयन दि. 5.6.92
सोसा.के परि. नस्तीबद्ध का दि. 20.10.16

अति. रजिस्ट्रार

(2) समिति का आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना ।

(3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना । उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना ।

(4) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रूपये 20,000/– व्यय करने का अधिकार होगा ।

(18) **संयुक्त सचिव के अधिकार** :–सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा ।

(19) **कोषाध्यक्ष के अधिकार** :– समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी व्दारा स्वीकृत व्यय करना ।

(20) **बैंक खाता**:– संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूतिच बैठक या पोस्ट आफिस में रहेगी । धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा । दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूप्ये 15,000/– रहेंगे ।

(21) **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी** :–

(1) अधि.की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची निर्धारित फीस के साथ फाईल की जावेगी ।

(2) अधि.की धारा 28 के अन्तर्गत संस्था के समस्त निधियों की परीक्षित लेखापत्रक निर्धारित फाईलिंग फीस के साथ 90 दिवस के अंदर फाईल की जावेगी ।

(22) **संशोधन**:– संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा । यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संषोधन करने के अधिकार पंजीयक,फर्म्स एवं संस्थाऐं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा ।

(23) **विघटन**:– संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा । विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी । उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ।

(24) **सम्पत्ति**:– संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी । संस्था की अचल सम्पत्ति(स्थावर) रजिस्ट्रार,फर्म्स एवं संस्थाऐं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय व्दारा, दान व्दारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी ।

अध्यक्ष   सचिव   कोषाध्यक्ष

संस्था का पंजीयन क्रं........300
संस्था का पंजीयन दि........2.6.92
संस्था के परि. पत्रकबद्ध का दि........28.10.16

डिप्टी रजिस्ट्रार

(25) **पंजीयक व्दारा बैठक बुलाना** :– संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों व्दारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवष्यक होने पर पंजीयक,फर्म्स एवं संस्थाऐं, को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही वह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकता है ।

(26) विवादः– संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा । यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को सन्तोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे । रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा । संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा ।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

संस्था का पंजीयन क्र. 300
संस्था पंजीयन दि. 2.6.92
संशो. परि. स्वीकृत का दि. 20.10.16

सहा. रजिस्ट्रार

T.C.

21.10.16

(M.J. Qureshi)
Asstt. Registrar of Societies
Sagar Division, Sagar